



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 411 राँची, सोमवार, 3 आषाढ़, 1946 (श०)
24 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

7 मई, 2024

आदेश सं0-5/आरोप-1-365/2014 का०-3178--श्रीमती खीस्तीना हाँसदा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-309/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-410/स्था०, दिनांक 10.06.2005 द्वारा गठित जाँच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जिसमें अनुशंसा की गई कि किस परिस्थिति में मो० 14000/- (चौदह हजार) रुपये का डी०सी० बिल की छपाई करायी गयी, इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत नहीं होता है, के संबंध में श्रीमती हाँसदा को स्थिति स्पष्ट करने हेतु विभाग से आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2452, दिनांक 26.09.2005 द्वारा श्रीमती हाँसदा से जिला पदाधिकारी, नालंदा को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्रीमती हाँसदा द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को स्थिति स्पष्ट करते हुए ज्ञापांक 110, दिनांक 17.06.2015 द्वारा विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-1056/स्था०, दिनांक 03.10.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती हाँसदा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में तत्कालीन जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-892/स्था०, दिनांक 19.09.2004 के अनुपालन में विषयगत मामले की जाँच करायी गयी थी। जाँच समिति के द्वारा दिनांक 02.09.2004 एवं 14.09.2004 को जाँच किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि “अभिश्रव सं०-444/98-99 में मो० 14000/- के अनियमितता से संबंधित है। समिति के द्वारा संबंधित अभिश्रव की जाँच की गयी और पाया गया कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 10.03.1999 को संबंधित डी०सी० बील की छपाई के विपत्र को स्वीकृत एवं पारित किया गया है। अतएव इसमें अनियमितता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यह सक्षम पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित है।”

साथ ही, जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्र के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन की अंतिम कंडिका में अनुमंडल नजारत, हिलसा की जाँच वित्त विभाग (अंकेक्षण), बिहार, पटना के विशेष दल से कराने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-903, दिनांक 02.02.2018 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा से अनुमंडल नजारत, हिलसा की जाँच वित्त (अंकेक्षण), बिहार, पटना के विशेष दल से कराये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन एवं सुस्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी है। जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-982/स्था०, दिनांक 17.06.2023 द्वारा अनुमंडल नजारत, हिलसा का जाँच समिति का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्र में अंकित है कि- “कार्यालय पत्रांक-892/ स्था०, दिनांक 19.08.2004 द्वारा जाँच समिति से विषयगत मामले की जाँच करायी गयी थी। जाँच समिति द्वारा दिनांक 02.09.2004 एवं 14.09.2004 को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जाँच समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुमंडल नजारत हिलसा के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण कराया गया। उप लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार के पत्रांक-547, दिनांक 29.11.2007 द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 47/2007-08 प्राप्त हुआ है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में ही कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है।”

श्रीमती हाँसदा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

समीक्षा में पाया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में ही कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है तथा जाँच समिति के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 10.03.1999 को संबंधित डी०सी० बील की छपाई के विपत्र को स्वीकृत एवं पारित किया गया है। अतएव इसमें अनियमितता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यह सक्षम पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती ख्रीस्तीना हाँसदा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-309/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
